

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए</p>
<p>18 $\frac{02}{2021}$</p>	<p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन मय नकल जारी होकर पत्रावली वास्तो जवाब दिनांक 30/03/21 को पेश हो।</p>	
<p>30 $\frac{03}{2021}$</p>	<p>उपरोक्त अधिकारी रावतभाटा (चिकोडगढ़) पत्रावली पेश हुई। प्राथी दलपत सिंह पिता श्री शम्भुसिंह जाति राजपूत निवासी सुभाष नगर (बड़ोदिया) तहसील रावतभाटा के ग्राम बड़ोदिया पं०६० बड़ोदिया स्थित खेतदारी की आराजी नम्बर 36 रकबा 0.05 है, रकबा नं० 37 रकबा 0.31 है रकबा नं० 39 रकबा 0.29 कुल कित्ता 03 रकबा 0.65 है की पत्थरगढ़ी करम जागे हेतु निश्चिन्त किया है। उक्त आराजी प्राथी के खेतदारी हक के दर्ज रेकार्ड है। अतः प्राथी दलपत सिंह पिता शम्भुसिंह राजपूत निवासी सुभाष नगर (बड़ोदिया) तहसील रावतभाटा की ग्राम बड़ोदिया पं०६० बड़ोदिया आ० नं० 36 रकबा 0.05 है, आ० नं० 37 रकबा 0.31 है आ० नं० 39 रकबा 0.29 कुल कित्ता 03 रकबा 0.65 है की बिना किसी के कर्ज में दरबल नदानी क्रिम, से रजिस्ट्रेशन नम्बरो अनुसार पत्थरगढ़ी करम के आदेश दिए जाते हैं। पत्थरगढ़ी पत्थरगढ़ी रकबा प्राथी बलू करम के समिदनर शुल्क 500/- रुपये अक्षर पांच 09 को रुपये प्राथी के कसूल है। पालनाथ</p>	

111 नवी दिल्ली
राजस्थान, भारत
(25 मार्च)

पक्षकारण को सूचित किया जाकर निचयानुसार
उम्त आराजी की पत्न्यागि की जावे एवं कोई
विवाद हो तो फुःपेशा करें। पालन प्राप्त है।
पत्रावली फल शुमार होकर नखर से कम है।


उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)